

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 सितम्बर 2011—आश्विन 1, शक 1933

भाग ४

विषय-सूची

- | | | | |
|-----|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) | (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) | (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) | (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

विमानन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2011

क्रमांक एफ 1-1/2008/पैतालीस,— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश विमानन विभाग (राजपत्रित-तकनीकी) सेवा भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम, 2003 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

- (1) नियम-2 में, खण्ड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(छ क) “प्रशासकीय अधिकारी” से अभिप्रेत है, कार्यपालक/सिविल राजपत्रित अधिकारी जो संचालनालय में कार्यरत कार्यपालक/अतिपिकवर्गीय एवं तकनीकी कर्मचारियों के कार्य के पर्यवेक्षण तथा समस्त प्रशासकीय कार्य (वायुयान/हेलीकॉप्टर की उड़ानों तथा संधारण को छोड़कर) में लगा हो;”

(2) अनुसूची एक के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्:-

“अनुसूची-एक

(नियम 5 देखिए)

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान तथा ग्रेड पे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
पायलट (तकनीकी पद)				
1.	चीफ पायलट/संचालक	1	प्रथम श्रेणी	37400-67000+ग्रेड पे रु.10000
2.	सीनियर पायलट (हैलीकॉप्टर)	5	प्रथम श्रेणी	37400-67000+ग्रेड पे रु.10000
3.	सीनियर पायलट (एयरक्राफ्ट)	1	प्रथम श्रेणी	37400-67000+ग्रेड पे रु.10000
4.	पायलट (एयरक्राफ्ट)	1	प्रथम श्रेणी	37400-67000+ग्रेड पे रु. 8900
5.	जूनियर पायलट (एयरक्राफ्ट)	1	प्रथम श्रेणी	15600-39100+ग्रेड पे रु. 6600
6.	प्रशासकीय अधिकारी (गैर तकनीकी पद)	1	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+ग्रेड पे रु. 5400
इंजीनियर (तकनीकी पद)				
1.	चीफ इंजीनियर	1	प्रथम श्रेणी	37400-67000+ग्रेड पे रु.10000
2.	डिप्टी चीफ इंजीनियर (संधारण)	1	प्रथम श्रेणी	37400-67000+ग्रेड पे रु. 8900
3.	डिप्टी चीफ इंजीनियर (रेडियो)	1	प्रथम श्रेणी	37400-67000+ग्रेड पे रु. 8900
4.	अधीक्षण यंत्री (संधारण)	1	प्रथम श्रेणी	37400-67000+ग्रेड पे रु. 8700
5.	अधीक्षण यंत्री (रेडियो)	0	प्रथम श्रेणी	37400-67000+ग्रेड पे रु. 8700
6.	फोरमेन	1	द्वितीय श्रेणी	9300-34800+ग्रेड पे रु. 4200

(3) अनुसूची 2 में, अनुक्रमांक 5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
“6.	प्रशासकीय अधिकारी	शासकीय विभाग के किसी योग्य अधिकारी से प्रतिनियुक्ति पर”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक खाण्डेकर, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2011

क्र. 1-1-2008-पैतालीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 1-1-2008-पैतालीस, दिनांक 2 सितम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक खाण्डेकर, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 2nd September 2011

No. F 1-1/2008/XLV,- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Aviation Department (Gazetted) Technical Service Recruitment and Service Condition Rules, 2003, namely :-

AMENDMENTS

In the said rules,-

- (1) In rule 2, after clause (g), the following clause shall be inserted, namely :-

"(ga) "Administrative Officer" means an Executive/Civil Gazetted Officer, who is supervising the work of executive/non-ministerial and technical employees and conducting all administrative work of the Directorate (except flying and maintenance work of aeroplane/helicopters);"

- (2) for Schedule I, the following Schedule shall be substituted, namely :-

SCHEDULE-I (See rule 5)

S.No. (1)	Name of Posts included in the services (2)	Number of posts (3)	Classification (4)	Scale of pay and Grade Pay (5)
PILOT (TECHNICAL POST)				
1.	Chief Pilot/Director	1	Class I	37400-67000+Grade Pay Rs.10000
2.	Senior Pilot (Helicopter)	5	Class I	37400-67000+Grade Pay Rs.10000
3.	Senior Pilot (Aircraft)	1	Class I	37400-67000+Grade Pay Rs.10000
4.	Pilot (Aircraft)	1	Class I	37400-67000+Grade Pay Rs. 8900
5.	Junior Pilot (Aircraft)	1	Class I	15600-39100+Grade Pay Rs.6600
6.	Administrative Officer (Non-Technical Post)	1	Class II	15600-39100+Grade Pay Rs.5400

ENGINEER (TECHNICAL POST)				
1.	Chief Engineer	1	Class I	37400-67000+Grade Pay Rs.10000
2.	Deputy Chief Engineer (Maintenance)	1	Class I	37400-67000+Grade Pay Rs.8900
3.	Deputy Chief Engineer (Radio)	1	Class I	37400-67000+Grade Pay Rs.8900
4.	Superintending Engineer (Maintenance)	1	Class I	37400-67000+Grade Pay Rs.8700
5.	Superintending Engineer (Radio)	0	Class I	37400-67000+Grade Pay Rs.8700
6.	Foreman	1	Class II	9300-34800+Grade Pay Rs.4200

(3) In Schedule II, after serial number 5 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :-

(1)	(2)	(3)
"6.	Administrative Officer	On deputation from any eligible officer of Government Department "

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
DEEPAK KHANDEKAR, Principal Secy.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2011

क्र. एफ 25-17-2009-दस-3.—मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्रमांक 9 सन् 1969) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) काष्ठ नियम, 1973 में, जो उक्त अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार "मध्यप्रदेश राजपत्र", भाग 4, दिनांक 1 जनवरी, 2010 को प्रकाशित किए गए थे, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—